संख्या– /33–3–2025

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मंडलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग–3 **लखनऊ दिनांकः अगस्त, 2025**

विषय– राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अन्तर्गत जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0ः 01/2021 3023/33–3–2020–10 जी.आई./2015 टी.सी.–।, दिनांकः 08 जनवरी, 2021 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत पंचायत प्रतिनिधियों/अधिकारियों/कर्मियों के क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु जनपद श्रावस्ती, अमेठी, एटा, शामली, हाथरस, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, रायबरेली, बलरामपुर, मेरठ, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, अमरोहा, संतकबीर नगर, कुशीनगर, कौशाम्बी, हापुड़, सम्भल, चित्रकूट, आजमगढ़, चंदौली, महोबा, सोनभद्र, संतरविदास नगर, कुशीनगर, कौशाम्बी, हापुड़ एवं महराजगंज 25 जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टरों (डी.पी.आर.सी.) के गठन एवं संचालन के साथ डी.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों के अनुश्रवण व आवश्यकतानुसार क्रियान्वयन हेतु मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण की महती आवश्यकता के दृष्टिगत शासनादेश सं0ः 01/2021 3023/33–3–2020–10 जी.आई./2015 टी.सी.–।, दिनांकः 08 जनवरी, 2021 के आलोक में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:–

1. उक्त शासनादेश से मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति, 25 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के साथ डी.पी.आर.सी. विहीन अन्य 43 जनपदों में भी प्रशिक्षणों के संचालन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी समिति के रूप में कार्य करेगी।

2. जिन मंडलों (झांसी एवं बरेली) में मंडलीय प्रशिक्षण एवं क्रियान्वयन समिति गठित नही है, उन मंडलों में भी शासनादेश सं0ः 01/2021 3023/33–3–2020–10 जी. आई./2015 टी.सी.–।, दिनांकः 08 जनवरी, 2021 की तरह मंडलायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन करते हुए प्रशिक्षण कार्यों का संचालन किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण के सफल एवं गुणवत्तापरक प्रशिक्षणों के आयोजन में जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार ग्राम्य विकास विभाग के डी.आई.आर.डी./आर.आई.आर.डी. अथवा अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं का सहयोग लिये जाने के लिए समिति अधिकृत होगी।

4. प्रशिक्षित प्रतिभागियों का भारत सरकार के पोर्टल पर शत–प्रतिशत आधार पंजीकरण एवं फीडबैक अद्यतन किए जाने हेतु उत्तरदायी समिति के रूप में कार्य करेगी।

5. उक्त रूप से प्रशिक्षणों के संचालन हेतु समिति को मार्गदर्शन एवं भारत सरकार द्वारा प्रशिक्षण हेतु दिए गए नवीनतम आदेशो के परिपालन हेतु निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 को अधिकृत किया जाता है।

6. यह भी कि डी.पी.आर.सी. संचालन हेतु भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार स्वीकृत/अनुमोदित दरों के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

3– उक्तानुसार जिला पंचायत रिसोर्स सेन्टर (डी.पी.आर.सी.) के संचालन सम्बंधी शासनादेश सं0: 01/2021 3023/33–3–2020–10 जी.आई./2015 टी.सी.–।, दिनांकः 08 जनवरी, 2021 में किए गए उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश के शेष नियम व शर्ते यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 23-08-2025
18:16:56

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांकः– तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार,।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. महानिदेशक, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बक्शी का तालाब लखनऊ।
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), अलीगंज, लखनऊ, उ0प्र0।
1. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

Digitally signed by
JAI PRAKASH PANDEY
Date: 25-08-2025
20:10:17

(जय प्रकाश पाण्डेय)
अनुभाग अधिकारी।